

अन्तिम डिक्री
डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(अ. आ. 20 नियम 6-7 व्य.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 72/2023

1. जगराज सिंह पुत्र बलम सिंह जाति जटसिख सा. खैरुवाला तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर(राज.)
2. जसवीर कौर पत्नी जगराज सिंह जाति जटसिख सा. खैरुवाला तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
3. मनजीत सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख सा. खैरुवाला तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
4. लखविन्द्र कौर पत्नी मनजीत सिंह जाति जटसिख सा. खैरुवाला तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर

-वादीगण

बनाम्

1. हरजिन्द्र सिंह पुत्र अनोख सिंह जाति जटसिख सा. नाथवाना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2. गुरजन्ट सिंह पुत्र मुकन्द सिंह जाति जटसिख सा. नाथवाना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3. गुरदेव सिंह पुत्र चेत सिंह जाति जटसिख सा. नाथवाना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
4. जोगेन्द्र सिंह पुत्र चेत सिंह जाति जटसिख सा. नाथवाना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
5. बलविन्द्र सिंह पुत्र मुकन्द सिंह जाति जटसिख सा. नाथवाना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
6. महेन्द्र सिंह पुत्र चेत सिंह जाति जटसिख सा. नाथवाना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
7. सन्तोख सिंह पुत्र मुकन्द सिंह जाति जटसिख सा. नाथवाना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
8. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

-प्रतिवादीगण

घोषणा एवं खाता विभाजन हेतु वाद

दिनांक :- 6.9.2024...

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील वादीगण पेश होने पर तहसीलदार(राजस्व) संगरिया के पत्रांक प्रा. डिक्री/भू.अ./2024/3436/ दिनांक 06.09.2024 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा सहमति देने पर वादीगण का वाद पत्र मुताबिक खाता विभाजन अन्य सहकाशकारों अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादीगण का खाता मुताबिक विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार अलग कायम किया जावे:-

तहसील संगरिया के चक 1 डी.एल.पी. के खाता सं. 4/6

1. जगराज सिंह पुत्र श्री बलम सिंह जाति जटसिख निवासी खैरुवाला तहसील सादुलशहर

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
160/189	16	23/0.253 है.,
160/190	20	3,8,12,13,18,19/0.253 है.प्र.,
		कुल = 1.771 है. नहरी

लगातार --2

महापक कलेक्टर एवं
उपखण्ड-अधिकारी
संगरिया

2. जसवीर कौर पत्नी श्री जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी खैरुवाला तहसील

सादुलशहर

प.नं. मु.नं. कि.नं.
160/189 16 18ता22/0.253 है.प्र.,
160/190 20 1,2/0.253 है.प्र.,
कुल 1.771 है. नहरी

3. मनजीत सिंह पुत्र श्री जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी खैरुवाला तहसील

सादुलशहर

प.नं. मु.नं. कि.नं.
160/190 20 9,10,11/0.253 है.प्र.,
कुल 0.759 है. नहरी

4. लखविन्द्र कौर पत्नी श्री मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी खैरुवाला तहसील

सादुलशहर

प.नं. मु.नं. कि.नं.
160/190 20 20,21,22/0.253 है.प्र.,
कुल 0.759 है. नहरी

विभाजन प्रस्ताव मौका पर कब्जा काश्त अनुसार बनाया गया एवं सहखातेदारो का कब्जा न होने के कारण नियमानुसार नाम कलमजन किये जाने उचित है।

उक्तानुसार वादीगण का खाता विभाजन कर रकमराज अलग से कायम की जाकर उक्तानुसार वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व अन्य प्रतिवादीगण का नाम कब्जाकाश्त के अभाव में नियमानुसार कलमजन किया जावे। तहसीलदार राजस्व संगरिया द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री का भाग रहेगा।

नोट :- यदि डिक्रीत वादीगण/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज निल मुब्लिकनिल बाबत्
.....निल.......... खर्चा मुकदमें के मयथुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकको अदा करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 6.9.2024 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया